प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 26.11.23

थाना कौशाम्बी पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 11 किलो 300 ग्राम नाजायज गांजा, 02 मोबाइल व घटना में प्रयुक्त कार बरामद।

थाना कौशाम्बी पर दिनांक 26.11.2023 को ईडीएम मॉल बैरियर कौशाम्बी के पास से चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना के आधार पर 02 अभियुक्तगण 1. कफील अहमद सिद्दीकी पुत्र इजहार अहमद सिद्दकी निवासी म0नं0 72 मो0 काजी बाडा थाना व कस्वा बुडाना जिला मुज़फ्फरनगर उम्र करीब 40 वर्ष 2. नौशाद पुत्र शमशाद निवासी ग्राम गांगरू थाना- कांधला जिला शामली उम्र करीब 45 वर्ष को गिरफ्तार किया गया है | जिनके कब्जे से 11 किलो 300 ग्राम नाजायज गांजा, 02 मोबाइल व घटना में प्रयुक्त 01 सैण्ट्रो कार और दो रंगीन छाया प्रति चालान बरामद हुए है। अभियुक्तगण के विरुद्ध सुसंगत धाराओ में अभियोग पंजीकृत कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण–

1. कफील अहमद सिद्दीकी पुत्र इजहार अहमद सिद्दकी निवासी म0नं0 72 मो0 काजी बाडा थाना व कस्वा बुडाना जिला मुज्फ्फरनगर उम्र करीब 40 वर्ष।
2. नौशाद पुत्र शमशाद निवासी ग्राम गांगरू थाना- कांधला जिला शामली उम्र करीब 45 वर्ष।

पूछताछ का विवरणः–

अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि हम लोग अन्य राज्यों से अवैध गांजा लाकर अपनी सैण्ट्रो कार की ईंधन की टंकी में छुपाकर एनसीआर क्षेत्र में अवैध गांजे की तस्करी करते हैं व अपने जीवन यापन का खर्चा चलाते हैं।

बरामदगी का विवरणः–

- 11 किलो 300 ग्राम नाजायज गांजा
- 01 सैण्ट्रो कार
- 02 मोबाइल कीपैड
- दो रंगीन छाया प्रति चालान

आपराधिक इतिहास का विवरणः-

- अभियुक्त नौशाद पर थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद गौवध अधिनियम व पशुओं के प्रति क्रूरता अधिनियम में 01 अभियोग , 01 अभियोग थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद व 01 अभियोग गौवध अधिनियम व पशुओं के प्रति क्रूरता अधिनियम थाना इकदिल जनपद इटावा में पंजीकृत है।
- अभियुक्त कफील अहमद पर गौवध अधिनियम व पशुओं के प्रति क्रूरता अधिनियम व पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम(जुर्माना आवेदन) के नियम अधिनियम का 01 अभियोग थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़ में पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम

थाना लिंकरोड पुलिस द्वारा फैक्ट्री में चोरी करने वाले 02 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से 02 बैटरी व 1520/-रू0 बरामद।

दिनांक 26.11.2023 को वादी विकास बंसल पुत्र डा0 एल0एल0 गुप्ता निवासी SRA-41B शिप्रा इंदिरापुरम गाजियाबाद व वादी राकेश कुमार पुत्र गजराज निवासी बी6/2 साईट 4 साहिबाबाद लिंकरोड गाजियाबाद के द्वारा फैक्ट्री से बैटरी चोरी होने के संम्बध में लिखित तहरीर देकर थाना लिंकरोड पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था | घटना का संज्ञान गंभीरता से लेते हुये दिनांक 26.11.2023 को थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबीर की सूचना के आधार पर रामा स्टील तिराहा से सेंध लगाकर फैक्ट्री में चोरी करने वाले 02 शातिर किस्म के अभियुक्तगण 1. फैसल पुत्र यामीन व 2. शिव कुमार पुत्र भरत सिंह को गिरफ्तार किया गया तथा कब्जे से 02 बैटरी एक्साइड कम्पनी की व 1520/- रू0 बरामद किये गये। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरणः-

अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ में बताया कि हम दोनों एनसीआर क्षेत्र में घूम फिर कर रात्रि में सेंध लगाकर फैक्ट्री में घुसकर बैटरी व अन्य सामान चोरी कर लेते है। चोरी की हुई बैटरी व अन्य सामान को बेचकर जो पैसा मिलता है उसे हम दोनो बराबर बराबर बाट लेते है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. फैसल पुत्र यामीन निवासी गली न0 12 ग्राम झंडापुर थाना लिंक रोड कमिश्नरेट गाजियाबाद
2. शिव कुमार पुत्र भरत सिंह निवासी कासगंज थाना कासगंज जिला कासगंज हालपता घनश्याम स्कूल के पास ग्राम झंडापुर थाना लिंक रोड कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष

बरामदगी का विवरणः-

- 02 बैटरी एक्साइड कम्पनी
- 1520/- रू0

आपराधिक इतिहास / पंजीकृत अभियोग का विवरणः-

- फैसल पुत्र यामीन के विरुध्द थाना लिंकरोड पर चोरी,लूट व आर्म्स एक्ट के 06 अभियोग पंजीकृत है।
- शिव कुमार पुत्र भरत सिंह के विरुध्द थाना लिंकरोड पर चोरी के संम्बध में 02 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम-

थाना लिंक रोड पुलिस टीम

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा 02 वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से फर्जी नम्बर प्लेट लगी चोरी की मोटरसाइकिल बरामद

दिनांक 26.11.2023 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर 02 शातिर वाहन चोर 1. सन्नी शर्मा पुत्र राकेश शर्मा न0 म0न0 1/3232 रामनगर इंदिरा प्याऊ थाना मानसरोवर पार्क जिला शाहदरा दिल्ली, 2. शाहिद उर्फ सूरज पुत्र सलीम नि0 शिव वाटिका बेहटा हाजीरपुर थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से फर्जी नम्बर प्लेट लगी चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुयी। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने बताया कि यह मोटरसाइकिल हम दोनो ने करीब 15-20 दिन पहले कामर्शियल मार्केट डीएलएफ से चोरी की थी तथा पकडे ना जाने के लिये हमनें मोटरसाइकिल पर फर्जी नम्बर प्लेट लगायी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता –

1.सन्नी शर्मा पुत्र राकेश शर्मा न0 म0न0 1/3232 रामनगर इंदिरा प्याऊ थाना मानसरोवर पार्क जिला शाहदरा दिल्ली

2.शाहिद उर्फ सूरज पुत्र सलीम नि0 शिव वाटिका बेहटा हाजीरपुर थाना लोनी बोर्डर गा0बाद

बरामदगी का विवरण

फर्जी नम्बर नम्बर प्लेट लगी चोरी की एक मोटरसाइकिल,

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा विद्युत तार चोरी करने वाले 02 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया गया विद्युत तार व घटना में प्रयुक्त कार बरामद

दिनांक 26.11.2023 को थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान शोभापुर कट के पास से मुखबिर की सूचना पर विद्युत तार चोरी करने वाले 02 अभियुक्त 01. शहनवाज पुत्र लियाकत अली नि0 जस्सीपुरा थाना कोतवाली गा0बाद उम्र करीब 33 वर्ष, 02. मुर्सलीन पुत्र सक्कीजान नि0 ग्राम मालागढ थाना अगौता जनपद बुलन्दशहर हाल पता गली न01 मदनपुर खादर थाना जैतपुर दिल्ली उम्र करीब 32 वर्ष को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 32 मीटर विद्युत तार के टुकड़े व घटना में प्रयुक्त आल्टो कार बरामद हुई। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त –

1.शहनवाज पुत्र लियाकत अली नि0 जस्सीपुरा थाना कोतवाली गा0बाद उम्र करीब 33 वर्ष,

2.मुर्सलीन पुत्र सक्कीजान नि0 ग्राम मालागढ थाना अगौता जनपद बुलन्दशहर हाल पता गली न01 मदनपुर खादर थाना जैतपुर दिल्ली उम्र करीब 32 वर्ष ,

<u>बरामदगी का विवरण</u>
32 मीटर तार के टुकडे व घटना में प्रयुक्त आल्टो कार,

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -
थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

<u>थाना साहिबाबाद पर 13 वर्षो से वाँछित चल रहे 50,000/- रू0 का पुरूस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार।</u>

दिनांक 05.10.2010 को वादी रनवीर सिंह द्वारा नशीला पदार्थ सुघाकर ट्रक को चोरी करने के सम्बन्ध में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था | जिसमें विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1. राजू उर्फ साहिब आलम उर्फ वंशी कर्मी पुत्र मौ0 शफिक नि0 डूमरी थाना रामाढबा जिला पूर्वी चम्पारण बिहार व अन्य 04 अभियुक्तगण आये थे। जिसमें राजू उर्फ साहिब आलम उर्फ वंशी कर्मी उपरोक्त के अलावा अन्य अभियुक्तगण वर्ष 2010 में गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके है व अभियुक्त राजू उर्फ साहिब आलम उर्फ वंशी कर्मी पुत्र मौ0 शफिक नि0 डूमरी थाना रामाढबा जिला पूर्वी चम्पारण बिहार मुकदमा उपरोक्त में फरार चल रहा था | जिसके विरूद्ध कुर्की कार्यवाही करते हुये वर्ष 2012 में मफरूरी में आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। वर्तमान में अभियुक्त राजू उर्फ साहिब आलम उर्फ वंशी कर्मी उपरोक्त मुकदमा उपरोक्त में पिछले करीब 13 वर्षो से फरार चल रहा था जिसपर गाजियाबाद पुलिस द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु 50000/-रू0 का इनाम घोषित किया गया था। दिनांक 24.11.2023 को वाँछित अभियुक्त राजू उर्फ साहिब आलम उर्फ वंशी कर्मी की गिरफ्तारी के संम्बध में थाना साहिबाबाद से पुलिस टीम रवाना हुई थी। जिसमें राजू उपरोक्त अभियुक्त को दिनांक 24.11.2023 को ही थाना रकसौल क्षेत्र जिला मोतिहारी बिहार से गिरफ्तार किया गया है। आवश्यक कार्यवाही करते हुये अभियुक्त को समय से न्यायालय पेश किया जायेगा।

<u>कार्यवाही एवं पूछताछ का विवरण</u>
अभियुक्त ने पूछताछ में बताया मैने अपने साथियों के साथ मिलकर वर्ष 2010 में थाना साहिबाबाद क्षेत्र नशीला पदार्श सुघाकर ट्रक को मय सामान के चोरी कर लिया था। जिसमें मेरे अन्य साथी जेल चले गये थे और मैं फरार चल रहा था अपने आप को इधर उधर छिपाते घूम रहा था वर्तमान में मै बिहार में रह रहा था।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता</u>
राजू उर्फ साहिब आलम उर्फ वंशी करमी पुत्र मौ0 शफिक नि0 डूमरी थाना रामाढबा जिला पूर्वी चम्पारण बिहार उम्र करीब 40 वर्ष

<u>पंजीकृत अभियोग व अभियुक्त का आपराधिक इतिहास का विवरण</u>
अभियुक्त राजू उर्फ साहिब आलम उर्फ वंशी करमी पुत्र मौ0 शफिक पर थाना साहिबाबाद में 01 अभियोग पंजीकृत है।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीमः-</u>
थाना साहिबाबाद पुलिस टीम

<u>थाना शालीमार गार्डन पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 किलो 200 ग्राम नाजायज गांजा बरामद।</u>

दिनांक 26.11.2023 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना के आधार पर अभियुक्त सुहैल पुत्र गफ्फार निवासी म0नं0 डी-390,70 फुटा रोड बीच रोड की मस्जिद गली न0 01 न्यू सीमापुरी थाना सीमापुरी दिल्ली को तिकोना पार्क बंगाली कालोनी के पास से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 किलो 200 ग्राम नाजायज गांजा बरामद हुआ जिसके सम्बन्ध में थाना शालीमार गार्डन पर एनडीपीएस एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>विवरण गिरफ्तार अभियुक्त</u>
सुहैल पुत्र गफ्फार निवासी म0नं0 डी-390,70 फुटा रोड बीच रोड की मस्जिद गली न0 01 न्यू सीमापुरी थाना सीमापुरी दिल्ली।

<u>पूछताछ का विवरण</u> –
पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मै घूम-घूम कर गांजे की छोटी छोटी मात्रा की पुड़िया बनाकर नशेड़ी व्यक्तियों को बेचकर पैसे कमाता हूँ , जो पैसे मिलते हैं उनसे अपना खर्च चलाता हूँ |

<u>बरामदगी का विवरण –</u>
01 किलो 200 ग्राम नाजायज गांजा

<u>गिरफ्तार करने वाली टीमः-</u>

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे सें 02 किलो 300 ग्राम नाजायज गांजा बरामद

दिनांक 25.11.2023 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त 1. मोहसिन मलिक उर्फ माही पुत्र गुलसेद निवासी नगर पालिका, खन्ना नगर थाना अंकुर विहार गाजियाबाद 2. आदिल पुत्र इस्लाम निवासी सी 16, बैंक विहार, त्यागी मार्केट, थाना अंकुर विहार को गिरफ्तार किया गया, कब्जे से 02 किलो 300 ग्राम नाजायज गांजा बरामद हुआ। अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

1. मोहसिन मलिक उर्फ माही पुत्र गुलसेद निवासी नगर पालिका, खन्ना नगर थाना अंकुर विहार गाजियाबाद।

2. आदिल पुत्र इस्लाम निवासी सी 16, बैंक विहार, त्यागी मार्केट, थाना अंकुर विहार गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण

कुल 02 किलो 300 ग्राम नाजायज गांजा बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम

थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा एक प्रोग्राम से एम्पलीफायर साउण्ड चोरी करने वाले 02 चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये गये 02 एम्प्लीफायर बरामद।

दिनांक 25.11.23 को थाना लोनी बोर्डर पर एक प्रोग्राम से अज्ञात चोर द्वारा एम्पलीफायर चोरी करने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत किया गया था। थाना लोनी बोर्डर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 26.11.23 को उक्त चोरी की घटना का सफल अनावरण कर चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर चोरी करने वाले 02 शातिर चोर 1. अमन पुत्र हाजी महबूब निवासी उत्तरांचल विहार सोसाईटी, थाना लोनी बार्डर, जिला गाजियाबाद, 2. उस्मान उर्फ चेटां पुत्र सुल्तान निवासी बेहट पीर सोसाईटी, थाना लोनी बार्डर, गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से चोरी किया गया UNISOUND TCA-150 एम्प्लीफायर साउंड व एक बड़ा एम्प्लीफायर बरामद हुआ। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ करने पर अभियुक्तो ने बताया कि ये दोनो एम्पलीफायर साउण्ड हम दोनो ने एक प्रोग्राम से चोरी किये थे, जिनको बेचकर हम लोग पैसो से मौज मस्ती करते।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता–

1.अमन पुत्र हाजी महबूब निवासी उत्तरांचल विहार सोसाईटी, थाना लोनी बार्डर, जिला गा0बाद,
2.उस्मान उर्फ चेटां पुत्र सुल्तान निवासी बेहट पीर सोसाईटी, थाना लोनी बार्डर, गा0बाद,

बरामदगी का विवरण-

- UNISOUND TCA-150 एम्प्लीफायर साउंड,
- एक बडा एम्प्लीफायर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना लोनी बोर्डर पुलिस टीम